(Form $\frac{O}{A}$)

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या F. 7(126)रा.प/71 दिनांक 22-9 सन् 71

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उनपर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०/- उपशासन सचिव

शासन सचिव।
राजस्थान सरकार (वन)

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वन-खण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वन-खण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
बांसवाड़ा	घांटोल	गमरगढ़ पानड़िया धी	दाता [redacted]	५२६-७०	सीमा रेखा विवरण परिशिष्ट :ब: संलग्न है।
			[redacted]चौरी	२६-००	
			केलामिता	४१८-०६	
			नलवा	३०-९०	
				१००१-६६ अर्थात १-५६ वर्ग मील या ४-०४ वर्ग कि० मी०	

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी
मंडल उदयपुर

Scanned with CamScanner